न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–42 / 2025

1. भजनलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
2. महेंन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।

–अपीलान्टस

बनाम

1. हुणताराम पुत्र रीखाराम जाति जाट साकिन ढ़ाणी लालखां तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–असल रेस्पोडेन्टस

3. अमरसिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
4. छोटूराम पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
5. निगधारी पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
6. मोहनलाल पुत्र श्रीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
7. रोशनी पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
8. लिलावती पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
9. सन्तोष पुत्री श्रीराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
10. बन्शीलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।
11. सुमन पुत्री नन्दराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:58 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

12. सावित्री पत्नी नन्दराम जाति जाट साकिन किकराली तहसील नोहर हाल लूदेशर तहसील सिरसा जिला सिरसा (हरियाणा)।

—तरतिबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः— श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।

निर्णय दिनांकः—

अपीलांट पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन किकराली, महेंन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन किकराली अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार (भू.अ.) नोहर दिनांक 03.06.2025 प्रकरण संख्या 03/ 2025 अनवानी हुणताराम बनाम स्टेट रिव्यू प्रार्थना में रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, को निरस्त अपील पेश की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है—

1. अपीलॉन्टस एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस ने सहायक कलेक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर की अदालत में एक वाद 88, 188 आर. टी. एक्ट. सन् 1955 वाद संख्या 162/2014 अनवानी अमरसिंह आदि बनाम जगदीश आदि पेश किया, जो बाद सुनवाई दिनांक 16.01.2025 को दावा डिक्री हो गया। निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2025 की पालना में इजराय आदेश जारी होने पर रोही मौजा किकराली के नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 व 1471 दिनांक 05.05.2025 को स्वीकृत किये गये एवं निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.01.2025 के मुताबिक भूमि अपीलान्टस एवं तरतीबी रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज हो गई। उसके बाद रेस्पोडेन्ट न. 1 ने दिनांक 23.05.2025 मातहत अदालत में एक रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया कि रोही मौजा किकराली के नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 व 1471 दिनांक 05.05.2025 को स्वीकृत किये गये है जबकि शरबती पत्नी रीखाराम, गुडी, मनी पुत्रियान् दलीप, हुणताराम, जगदीश पुत्रगण रीखाराम जाति जाट साकिन ढ़ाणी लालखां के हिस्से पर ओबीसी बैक नोहर से रहन दर्ज था, जो कि ऑनलाईन जमाबन्दी में सहबन दर्ज होने से रह गया। इसी अशुद्वी की वजह से माननीय न्यायालय के आदेश की पालना हुई है। इसलिए रोही मौजा किकराली के नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 व 1471 दिनांक 05.05.2025 को रिव्यू किया जावे, जिस पर मातहत अदालत ने हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर रोही मौजा किकराली के नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 व 1471 दिनांक 05.05.2025 [illegible] दिनांक 03.06.2025 को निरस्त कर दिया, जो कि मातहत अदालत ने [illegible] निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:58 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

2. सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी राजस्व नोहर की अदालत के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.01.2025 के खिलाफ रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने कोई अपील नहीं की जब तक निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.01.2025 बहाल है तब तक उसकी पालना में दर्ज नामान्तरण को किसी भी प्रकार से निरस्त नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

3. मातहत अदालत ने विधि विरूद्ध निर्णय दिनांक 03.06.2025 पारित करने से पूर्व अपीलान्टस एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस को कोई सूचना एवं नोटिस जारी नही किया ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया कानूनी स्थिति के मुताबिक किसी भी प्रकार का निर्णय पारित करने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय किसी भी प्रकार से चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त योग्य है।

4. विवादित भूमि में रेस्पोडेन्ट नं0 1 व अन्य काश्तकारो का कोई हक व हिस्सा नहीं है ना ही विवादित भूमि पर कभी कब्जा रहा है ना ही वर वक्त दायरी दावा विवादित भूमि बैक के रहन दर्ज थी, यदि दौरान दावा बैक के रहन दर्ज हुई है तो उसका कोई कानूनी महत्व नहीं है एवं बैक अपनी पैरवी करने के लिए स्वतन्त्र है। यदि राजस्व रिकार्ड में गलत अंकन के आधार पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 व अन्य सहयोगी काश्तकारो ने बैंक से लोन प्राप्त किया है तो बैक उसकी अन्य भूमि से अपनी वसूली करने के स्वतन्त्र है ना ही बैक द्वारा रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। एक अन्य काश्तकार द्वारा दूसरे की पैरवी नहीं की जा सकती। उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने कानूनी प्रकिया को नजर अन्दाज कर विधि विरूद्व निर्णय किया है, जो निरस्त योग्य है।

5. मातहत अदालत ने साजिसाना तरिके से सिर्फ अपीलान्टस एवं तरतिबी रेस्पोडेन्टस को नुकसान पहुचाने के उदेश्य से विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जो किसी भी तरिके से चलने योग्य नही होने के कारण खारिज योग्य है।

लिहाजा अपील अपीलान्टस पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्टस स्वीकार कर दिनांक 03.06.2025 निरस्त करने का आदेश [illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:58 IST
Reason: SelfAttested

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर [illegible] के जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–01 बाद रजिस्ट्रर्ड डाक [illegible] तामिल होनें के बाद भी उपस्थित नहीं हुये। अतः रेस्पोडेन्ट संख्या–01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–02 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन नामान्तरण की मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 12 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तर्क किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, नोहर द्वारा दिनांक 03.06.2025 प्रकरण संख्या 03/ 2025 अनवानी हुणताराम बनाम स्टेट रिव्यू प्रार्थना में रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, को अपास्त कर नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 व 1471 दिनांक 05.05.2025 को बहाल किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एंव पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर पक्षकार/रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 01 हुणताराम पुत्र रीखाराम के प्रार्थना–पत्र के आधार पर प्रकरण संख्या 03/2025 बअनवानी प्रकरण हुणताराम बनाम स्टेट में नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 एंव नामान्तरण संख्या 1471 दिनांक 05.05.2025 को रिव्यु कर निरस्त किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा दिनांक 16.01.2025 को पारित निर्णय में *"यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होनें के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करें"* का अंकन किया गया है"। तहसीलदार नोहर द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 16.01.2025 की पालना नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 दर्ज किया गया लेकिन त्रुटि होनें के कारण शुद्धि कर पुनः नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 05.05.2025 दर्ज किया गया। पक्षकार/ रेस्पोडेन्ट संख्या–01 द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया कि नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 एंव 1470 दिनांक 05.05.2025 में दर्ज भूमि पर बैंक रहन है, जो त्रुटिवश जमाबंदी में दर्ज नहीं किया गया। प्रार्थना–पत्र के आधार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 03.06.2025 को प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या–01 का रिव्यु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर नामान्तरण संख्या 1470 दिनांक 02.05.2025 एंव नामान्तरण संख्या 05.05.2025 को निरस्त कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:58 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.06.2025 को पारित निर्णय विधि सम्मत है क्योंकि बैंक रहन के दौरान दर्ज नामान्तरण को रिव्यु कर निरस्त किया गया है। अतः तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 03.06.2025 को निर्णय पारित करनें में कोई त्रुटि कारित नहीं है। इसलीए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 03/2025 अनवान हुणताराम बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2025 में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होनें से खारिज की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 23/2/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:43:58 IST
Reason: SelfAttested